रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० ..... महेशपुरी, राजस्व ग्राम चकजोधपुरा के
वेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
वर्ष 2075-78 के खाता सं. 170 में श्योपालसिंह पुत्र धनसिंह है जबकि
शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों में शिवपाल पुत्र धनसिंह है। अतः
किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :-

राजस्व / 2020 / 1755 29/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
न दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम पुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / नहीं
ती है।

दुरूस्त किया जाना उचित है

29/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / ~~गुढागौड़जी~~

नाम व पता)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

दिनांक :- .....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01.	चक जोधपुरा	2075-78	170	श्योपालसिंह पुत्र धनसिंह	शिवपालसिंह पुत्र धनसिंह

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि खत्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 29/11/2

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1751-52

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ। ..... को सूचनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... शिवपालसिंह / धनसिंह चकजोधपुरा

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:21:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner